न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष
एम0के0 सिह
सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 2928/ ।।/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 9–5–2013 – पारित – व्दारा सदस्य , राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर – निगरानी प्रकरण कमांक 1136/ ।/2009

श्रीमती मीरा सिंह राठौर पत्नि वृजेन्द्रसिंह राठौर
निवासी पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ———आवेदिका

विरूद्व

म0प्र0शासन ———अनावेदक

(आवेदिका की ओर से श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर श्री डी.के.शुक्ला)

आ दे श
(आज दिनांक 6 – 7 –2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1136/ ।/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–5–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका व्दारा ग्राम ओरछा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 455/15/1 रकबा 9–524 हैक्टर के अंश रकबा 290X25 वर्गफुट पर अतिकमण करने के संबंध में हलका पटवारी ने तहसीलदार ओरछा को रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार पिछोर ने आवेदिका के विरूद्व अतिकमण प्रकरण कमांक 11 अ–68/08–09 पंजीबद्व किया तथा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवेदिका ने कारण बताओ सूचना का उत्तर प्रस्तुत न करते हुये आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि पटवारी व्दारा अतिकमण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न नहीं है जिसके कारण अतिकमण चिन्हित नहीं है इसलिये पटवारी से ट्रेस नक्शा मंगाया जावे। तहसीलदार ओरछा की आदेश पत्रिका दिनांक 17–8–2009 के अनुसार पटवारी के कथन अंकित किये गए तथा आवेदिका की नक्शा ट्रेस प्रति की मांग को निरस्त कर दिया। इस अंतरिम आदेश के विरूद्व आवेदिका ने इस न्यायालय

में निगरानी कमांक 1136/ ।/2009 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 9–5–13 से निरस्त की गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदिका पर ग्राम ओरछा की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 455/15/1 रकबा 9–524 हैक्टर के अंश रकबा 290X25 वर्गफुट पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हलका पटवारी ने तहसीलदार ओरछा को प्रस्तुत की थी। सर्वे कमांक 455/15/1 रकबा 9–524 हैक्टर बड़ा रकबा है इस बड़े रकबे में आवेदिका ने कहां व किस स्थान पर अतिक्रमण किया है हलका पटवारी ने नक्शे में चिन्हित कर ट्रेस नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है जबकि आवेदिका व्दारा निजी भूमि पर निर्माण कराया गया है जिसके कारण तहसीलदार का प्रकरण वास्तविक स्थिति पर आधारित न होकर आवेदिका को महिला होने के कारण पटवारी ने परेशान करने की नीयत से रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आवेदिका की नक्शा ट्रेस देने की मांग को तहसीलदार व्दारा अस्वीकार करके बिना भूमि के चिन्हांकन के अतिक्रमण प्रकरण दर्ज करना एंव जांच हेतु आवेदिका को बुलाना गलत तथ्यों पर आधारित होने से तहसीलदार की कार्यवाही निरस्त की जावे । उन्होंने बताया कि पुनरावलोकन आदेश पारित करते समय इन्हीं तथ्यों के नजर–ओझल हो जाने से निगरानी अमान्य हो गई। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदिका शासकीय भूमि की अतिक्रामक है जिसके कारण तहसीलदार ओरछा व्दारा अतिक्रमण हटाने की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने पूर्वादेश दिनांक 9–5–13 को स्थिर रखे जाने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार ओरछा के अंतरिम आदेश दिनांक 17–8–09 तथा न्यायालयीन आदेश दिनांक 9–5–13 के अवलोकन पर पाया गया है कि तहसीलदार ओरछा ने अंतरिम आदेश दिनांक 17–8–09 से आवेदिका का अतिक्रमण स्थल का ट्रेस नक्शा पटवारी से मंगाये जाने की मांग को निरस्त किया है एंव पटवारी की एकपक्षीय साक्ष्यॉकित की है तथा आवेदिका को जवाव पेश करने हेतु अंतिम अवसर आगामी पेशी 27–8–09 को दिया है। विचार योग्य बिन्दु है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि ग्राम ओरछा स्थित भूमि सर्वे कमांक 455/15/1 रकबा 9–524 हैक्टर है जिसके अंश भाग 290X25 वर्गफुट पर आवेदिका व्दारा अतिक्रमण कर लेने का प्रतिवेदन पटवारी ने प्रस्तुत किया है । ध्यान देने योग्य है कि ग्राम ओरछा स्थित भूमि सर्वे कमांक 455/15/1 रकबा 9–524 हैक्टर , जो एक बड़ा भू भाग है के अंश भाग 290X25 वर्गफुट पर आवेदिका ने कहॉ व किस ओर , किस स्थल पर अतिक्रमण किया है, नक्शे में चर्तुसीमा दर्शाए बिना अतिक्रमण

का संज्ञान होना संभव नहीं है जिसका चिन्हांकित नक्शा प्रस्तुत करने एंव अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट कराने की मांग आवेदिका ने तहसीलदार ओरछा से की है कि पटवारी से पहले उक्त स्थिति संज्ञात कराकर अतिक्रमण चिन्हांकित कर नक्शा प्रस्तुत कराया जावे और आवेदिका की इस जायज मॉग को तहसीलदार ओरछा ने प्रकरण कमांक 11 अ–68/08–09 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–8–09 से निरस्त करने में भूल की है तथा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1136/ ।/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–5–13 में भी इस तथ्य के दृष्टिओझल होने से विचार नहीं हुआ है, जिसके कारण तहसीलदार व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–8–2009 निरस्त किये जाने योग्य है और इन्हीं कारणों से न्यायालयीन आदेश दिनांक 9–5–13 भी अमान्य योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार ओरछा द्वारा प्रकरण कमांक 11 अ–68/08–09 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–8–09 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 1136/ ।/2009 में पारित आदेश दिनांक 9–5–13 अमान्य करते हुये पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर